उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या- 10/2020/752/तीस-4-2020/01(सा0)/2017
लखनऊःदिनांक 30 जुलाई ,2020

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-14/2019/931/तीस-4-2019/01(सा0)/2017, दिनांक 07 जून, 2019 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल निदेश देती हैं कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी, अनुसूची के स्तम्भ 4 तथा 5 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित धनराशि के निमित्त स्तम्भ-3 में उल्लिखित अपराध और स्तम्भ-2 में उल्लिखित धाराओं के अधीन अपराध का शमन कर सकते हैं:-

अनुसूची

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	**मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है**	**अपराधों का विवरण**	**शमन शुल्क की धनराशि**	
			प्रथम अपराध की दशा में	**द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
(1) परिवहन विभाग के पदधारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। **(2) पुलिस विभाग के पदधारी** **(एक) नागरिक पुलिस /यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी** **(दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी** **(तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक** **(चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट**	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 122, 126 के साथ पठित धारा 177 मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 130 के साथ पठित धारा 177 केन्द्रीय मोटर यान नियमावली का नियम 15(7) मोटरयान अधिनियम की धारा 177 के साथ पठित धारा 47 धारा 184क, ख, घ, ड.च में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर मोटरयान अधिनियम की धारा 119 के साथ पठित धारा 177 मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 6(2) के साथ पठित धारा 177 मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 123 के साथ पठित धारा 177 मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 72 (तेरह)	**<u>यातायात सम्बन्धी अपराध</u>** 1- पार्किंग नियमों का उल्लघंन 2- मांग किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, परमिट, स्वस्थता प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (puc) प्रस्तुत करने में विफल होने पर। **टिप्पणीः- डिजीलॉकर में इलेक्ट्रानिक प्रारुप में दस्तावेज स्वीकार किये जायेंगे।** 3 - 12 माह से अधिक अवधि तक अन्य राज्यों के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का उपयोग करने पर। 4- धारा 184क, ख, घ, ड., च में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर ड्राइवर द्वारा बिना किसी संकेत के गली बदलते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाना। 5- अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देने पर **<u>यात्रियों से सम्बन्धित अपराध</u>** 6- फुट बोर्ड पर यात्रियों के खडे होने पर **<u>वाणिज्यिक यानों से सम्बन्धित अपराध</u>**	रु0-500/-	रु0-1500/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
	के साथ पठित धारा 177 उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली के नियम 28 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 177 उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली के नियम 166क के साथ पठित धारा 177	7- अनुज्ञेय किराये से अधिक किराया लेने पर 8- परिवहन यानों में आवश्यक अपेक्षित सूचना प्रदर्शित न करने पर 9- मोटर कैब में किराया मीटर कार्यशील न होने पर। 10- मोटर यान अधिनियम या तद्धीन जारी नियमावली, विनियमावली या अधिसूचनाओं के किसी उपबन्ध का उल्लघंन करने वाले अन्य अपराध जो ऊपर उल्लिखित नहीं है तथा जिनके लिये विनिर्दिष्ट जुर्माना विहित नहीं किया गया है।		
(एक) परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन (दो) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट	178(1)	**<u>मंजिली गाड़ियों में यात्रियों से सम्बन्धित अपराध</u>** 1- बिना वैध टिकट या पास के यात्रा करना। 2- मांगने पर पास या टिकट प्रस्तुत न करना।	रु0-500/-	-
-तदैव-	178(2)	**<u>मंजिली गाड़ियों में परिचालकों से सम्बन्धित अपराध</u>** 1- किराया न लेना या किराया लेने से इंकार करना। 2- टिकट जारी न करना या टिकट जारी करने से इंकार करना। 3- अवैध टिकट देना। 4- कम किराया का टिकट प्रदान करना। 5- टिकट या पास की जांच न करना।	रु0-500/-	-
-तदैव-		यदि ठेका गाड़ी का परमिट धारक या चालक इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली		-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
		के उपबन्धों का उल्लंघन करके ठेका गाड़ी संचालित करने या यात्रियों को ले जाने से मना करता है:-		
	178(3)(क)	(क) दो पहिया या तीन पहिया मोटरयानों की दशा में।	रु0-50/-	-
	178(3)(ख)	(ख) यान के किसी अन्य मामले में।	रु0-500/-	
(1) परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। (2) पुलिस विभाग के अधिकारी (एक) नागरिक पुलिस /यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट	179(1)	प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी विधि सम्मत निदेश का उल्लंघन करना या ऐसी किसी कृत्य का निर्वहन करने में व्यवधान डालना, जिसका निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारीगण अपेक्षित हों या सशक्त हों	रु0-2000/-	-
-तदैव-	179(2)	इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराये जाने हेतु अपेक्षित सूचना देने से अस्वीकार करना या मिथ्या सूचना देना जिसे वह सत्य न मानता हो	रु0-2000/-	-
-तदैव-	180	जो कोई, चाहे वह मोटर यान का स्वामी हो या उसका भार साधक व्यक्ति हो, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों का समाधान नहीं करता है, से यान चलवाता है या उसकी अनुज्ञा देता है	रु0-5000/-	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
-तदैव-	181	धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों का उल्लघंन कर यान चलाने पर।	रु0-5000/-	-
-तदैव-	182(1)	ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा यान चलाये जाने पर जो इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस धारित करने या उसे प्राप्त करने के लिए निरर्ह हो	रु0-10000/-	-
-तदैव-	182(2)	ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा मंजिली गाड़ी के परिचालक के रुप में कार्य करना, जो इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस धारित करने या उसे प्राप्त करने के लिए निरर्ह हो	रु0-10000/-	-
(क) अपर परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव परिवहन विभाग **(ख) उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव व विशेष सचिव परिवहन विभाग**	182क(1)	(क) जो कोई, या तो मोटर यानों का विनिर्माणकर्ता, आयातकर्ता या व्यवहारी हो, उक्त अधिनियम के अध्याय-सात और तद्धीन बनायी गयी नियमावली तथा विनियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन कर किसी यान का विक्रय करना, परिदान करना, परिवर्तन करना या विक्रय, परिदान अथवा परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव करना (i) **विनिर्माणकर्ता** (ii) **आयातकर्ता** **(ख) व्यवहारी**	रु0-100000/- प्रति वाहन रु0-100000/- प्रति वाहन	-
उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव व विशेष सचिव परिवहन विभाग	182क(3)	जो कोई मोटर यान के ऐसे किसी संघटक, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नाजुक सुरक्षा संघटक के रुप में अधिसूचित किया गया हो और जो अधिनियम के अध्याय-सात या तद्धीन बनायी गयी नियमावली एवं विनियमावली के उपबन्धों के अनुरुप न हो, विक्रय करता है या विक्रय करने का प्रस्ताव करता है या उसके विक्रय की अनुज्ञा प्रदान करता है	रु0-100000/- प्रति संघटक	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
(एक) परिवहन विभाग के पदाधिकारी, यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन	182क(4)	जो कोई मोटर यान का स्वामी होते हुए किसी मोटर यान में ऐसी रीति से परिवर्तन करता है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के अधीन अनुज्ञात न हो	रु0-5000/- प्रति परिवर्तन	-
अपर परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव परिवहन विभाग	182ख	(I) धारा-62क(1) का उल्लंघन ऐसे किसी मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण किये जाने पर जिससे यानों की चैड़ाई ऊँ चाई लम्बाई और प्रलम्भ एवं वहन किये गये भार के उपबंधों से संबंधित धारा 110 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन होता हो!	रु0-5000/-	रु0-10000/-
-तदैव-	182ख	(II) धारा- 62क(2) का उल्लंघन किसी विहित प्राधिकरण या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के उपबंधों से संबंधित धारा 118 के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर।	रु0-5000/-	रु0-10000/-
(1) परिवहन विभाग के पदधारी, यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। **(2) पुलिस विभाग के पदधारी** **(एक) नागरिक पुलिस /यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी**	183(1)	अधिनियम की धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमाओं का उल्लंघन करके कोई मोटर यान चलाने अथवा ऐसे व्यक्ति, जो उसके द्वारा नियोजित हो या उसके नियंत्रणाधीन हो, के द्वारा यान चलवाने पर।	(i) हल्के मोटर यान की दशा में रु0-2000/ (ii) मध्यम/भारी यात्री/माल यान की दशा में रु0-4000/-	***अशमनीय***

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
(दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट				
-तदैव-	केन्द्रीय मोटर यान नियमावली के नियम 21 के साथ पठित धारा 184(ग)	यान चलाते समय हाथ से पकडे जाने वाले संचार उपकरणों (हैण्ड हेल्ड डिवाइस) का उपयोग करना।	रु0-1000/-	रु0-10000/-
-तदैव-	186	यह ज्ञान होते हुये कि वह किसी ऐसे रोग या निःषक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरुप सार्वजनिक स्थान में उसके द्वारा यान चलाने से साधारण जनता के लिये खतरा संभावित है सार्वजनिक स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाने पर	रु0-1000/-	रु0-2000/-
-तदैव-	189	यह ज्ञान होते हुये कि वह किसी ऐसे रोग या निःषक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरुप सार्वजनिक स्थान में उसके द्वारा यान चलाने से साधारण जनता के लिये खतरा संभावित है सार्वजनिक स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाने पर	रु0-5000/-	रु0-10000/-
-तदैव-	190(2)	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान में ऐसा मोटर यान चलाने या चलवाने पर जो 1- सड़क सुरक्षा के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन करता हो यथा रेफ्लेक्टर न लगा होना, मानक के अनुसार रेट्रो रेफ्लेक्टिव टेप न लगा होना, वाणिज्यिक यानों में मानकों के अनुसार स्पीड लिमिट डिवाइस न लगा होना; 2- वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लघंन कारक हो; 3- ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में	रु0-10000/-	रु0-10000/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
		विहित मानकों का उल्लघंन कारक हो।		
(1) परिवहन विभाग के अधिकारी, यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन **(2) पुलिस विभाग के अधिकारी** **(एक) नागरिक पुलिस / यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी** **(दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी** **(तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक**	मोटर यान अधिनियम की धारा 39 एवं धारा 56 के साथ पठित धारा 192 केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 51 के साथ पठित धारा 192	(i) रजिस्ट्रीकरण के बिना या निलम्बित या रद्दकृत रजिस्ट्रीकरण के साथ मोटर यान संचालित किये जाने पर (ii) वैध उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के बिना यान संचालित किये जाने पर। (iii) यान में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को विहित रीति से प्रदर्शित न करने पर। (iv) अन्य मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण संख्या को अपने यान पर प्रदर्शित करने पर।	रु0-5000/- रु0-5000/- रु0-5000/- रु0-5000/-	रु0-10000/- रु0-10000/- रु0-10000/- रु0 10000/-
-तदैव-	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66 के साथ पठित धारा-192(क)	जो कोई परमिट के बिना कोई मोटर यान चलाता है या ऐसे मार्ग से सम्बंधित, जिसपर या ऐसे क्षेत्र से सम्बंधित, जिसमें या ऐसे प्रयोजन से सम्बंधित, जिसके लिये यान चलाया जा सकता है, परमिट के किसी शर्त का उल्लंघन करके कोई यान चलवाता है या चलाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करता है	रु0-10000/-	रु0-10000/-
परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन।	194(1)	अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान चलाये जाने की दशा में :- (क) अधिनियम की धारा 113 और 115 के उपबन्धों का उल्लघन करके कोई मोटर यान चलाये जाने पर तथा (ख) यदि किसी मोटर यान में अधिक भार हो तो प्रतिटन अधिक भार होने पर।	रु0-20000/- *और प्रति टन अधिक भार के लिए* रु0-2000/- *अतिरिक्त*	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
-तदैव-	194(1क)	जो कोई मोटर यान चलाता है या कोई मोटर यान चलवाता है या चलवाने की अनुज्ञा प्रदान करता है, जब ऐसा मोटर यान इस प्रकार से भारित किया जाय कि भार या उसका आंशिक भाग या बॉडी के पार्श्व भाग या अग्र भाग की तरफ या अनुज्ञेय सीमा से अधिक की ऊँचाई के पृष्ठ भाग की तरफ बाहर निकला होने पर (1) यदि भार कृषि उत्पाद हो (2) कोई अन्य भार	 रु0-100/- रु0-20000/-	-
-तदैव-	मोटर यान अधिनियम की धारा 114 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-194(2)	धारा 114 के उपबन्धों का उल्लंघन करके यान चलाने या चलवाने या चलाने की अनुज्ञा प्रदान करने पर (इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तुलवाये जाने का निदेश दिये जाने के पश्चात तुलवाने हेतु यान को रोकने और प्रस्तुत करने से इनकार किये जाने पर या तुलवाये जाने से पूर्व भार या उसके आंशिक भाग को हटाने या हटवाये जाने पर)	रु0-40000/-	-
(1) परिवहन विभाग के पदधारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। **(2) पुलिस विभाग के पदधारी** **(एक) नागरिक पुलिस /यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी** **(दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी** **(तीन) नागरिक पुलिस के निरीक्षक और उप निरीक्षक जो अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र**	उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 135 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-194क	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अथवा अनुज्ञा-पत्र (में अनुमोदित से) भिन्न यात्री परिवहन यान में अधिक यात्रियों को ले जाने पर।	रु0-200/- *प्रति यात्री*	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
की अधिकारिता में हो, (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट				
-तदैव-	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194ख(1)	यान चलाते समय सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करने में विफल रहने या सुरक्षा बेल्ट न पहनने वाले यात्रियों को ले जाये जाने पर	रु0-1000/-	-
-तदैव-	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194ख(2)	ऐसे बालक, जो 14 वर्ष की आयु न प्राप्त किया हो तथा सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल सुरक्षा प्रणाली द्वारा सुरक्षित न किया गया हो, के साथ कोई मोटर यान चलाने पर या कोई मोटर यान चलवाने या उसकी अनुज्ञा दिये जाने पर।	रु0-1000/-	-
-तदैव-	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-194 ग	जो कोई स्वयं के अतिरिक्त एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों को वहन करते हुए मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल चलवाता है या उसकी अनुज्ञा प्रदान करता है।	रु0-1000/-	-
-तदैव-	केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा 129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 121 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194 घ	हेलमेट नहीं पहनने के उल्लंघन पर	रु0-1000/-	-
-तदैव-	194 ङ.	आपात यानों यथा एम्बुलेन्स, अग्निशमन यान इत्यादि को अबाध रुप से गुजरने देने में विफल होने पर	रु0-10000/-	-
-तदैव-	194 च	जो कोई मोटर यान चलाते समय: 1- सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हार्न अनावश्यक रुप से या निरंतर या आवश्यकता से अधिक बजाता है या 2- निषिद्ध क्षेत्र में हार्न बजाता है या 3- ऐसा मोटर यान चलाता है जिसमें ऐसे कटआउट का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा एक्जास्ट गैस साइलेंसर से भिन्न माध्यम से निर्मुक्त किये जाते हैं	रु0-1000/-	रु0-2000/-
-तदैव-	196	गैर बीमाकृत यान चलाना या मोटर यान चलाने के लिए अनुज्ञा	रु0-2000/-	रु0-4000/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
		देना।		
-तदैव-	198	बिना प्राधिकार के यान में अनधिकृत दखल देने या उसमें छेड़छाड़ करने पर।	रु0-1000/-	-

आज्ञा से,

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या -10/2020/752(1)/तीस-4-2020/01(सा0)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 30 जुलाई, 2020 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या -10/2020/752(2)/तीस-4-2020/01(सा0)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या -10/2020/752(3)/तीस-4-2020/01(सा0)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यू नलउत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/न्याय/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9. विधायी अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Parivahan Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.10/2020/752/XXX-4-2019-1(sa)/2017, dated: 30 July, 2020

Notification no. 10/2020/752/XXX-4-2020-1(sa)/2017
Lucknow dated: 30 July, 2020,

In exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of Government notification no. 14/2019/ 931/XXX-4-2019/01(Sa)2017, dated June 07, 2019, the Governor is pleased to direct that the officers mentioned in column-1 of the Schedule below may compound the offence mentioned in column 3 and offence under sections mentioned in column 2 for amount mentioned against each in column 4 and 5 of the Schedule -

SCHEDULE

Officials who can compound the offences	**Sections of The Motor Vehicles Act, 1988, under which a offence is to be compound**	**Description of offences**	**The amount of compounding fees**	
			In the case of first offense	**Second or In case of follow-up offence**
1	***2***	***3***	***4***	***5***
(1) Officials of the Transport Department Passenger Tax Officer / Assistant Regional Transport Officer / Regional Transport Officer and all officers above the rank principal secretary, secretary and special secretary, Transport.	Section-177 of Motor Vehicles Act 1988, read with Section 122, 126	**Traffic related offence:** 1- Violation of parking rules.	500/-	1500/-
	Section-177 of Motor Vehicles Act 1988, read with Section 130, Rule 15(7) of Central Motor Vehicle Rule.	2- Failure to present certificate of Registration, Permit, Certificate of Fitness, Driving License, Pollution under control Certificate on demand **NOTE: Documents in electronic form in Degiloker will be accepted.**		
	Section 47 read with Section 177 of Motor	3- Using registration mark of other states for a period exceeding 12 Months.		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of The Motor Vehicles Act, 1988, under which a offence is to be compound	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	*2*	*3*	*4*	*5*
(2) Officials of Police Department **(i) Gazetted Officers of Civil Police / Traffic Police** **(ii) Traffic Police Inspector / Sub-Inspector and Head constable.** **(iii) Inspector and Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their appointment** **(iv) All executive magistrates;**	Vehicles Act,			
	Section 177 of the Motor Vehicles Act, read with the Section 119, except offences mentioned in Section 184 a, b, d, e, f	4- Violation of traffic rules by the driver except the offences mentioned in Section in 184 a, b, d, e, f and without any indication changing the alignment.		
	Section-177 of the Motor Vehicles Act, 1988, read with section 6(2)	5- Provide driving license to another person.		
	Section -177 read with Section 123 of the Motor Vehicles Act, 1988,	**Passengers related offence:** 6- Passengers standing on Footboard.		
	Section -177 read with Section 72 (xiii) of the Motor Vehicles Act, 1988,	**Commercial Vehicles related offence:** 7- To charge more than permissible fare.		
	Section -177 of the Motor Vehicles Act, 1988, read with Section 28 of U.P. Motor Vehicle	8- Not to display essential required information in Transport Vehicles.		

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of The Motor Vehicles Act, 1988, under which a offence is to be compound	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Rules.			
	Section -177 read with rule 166A of U.P. motor vehicle rules.	9- Non function of fare meter in Motor Cab. 10- **Other offences violating the Motor Vehicle Act or any of the provisions of the Rules, Regulations or Notifications issued thereunder, not mentioned above and for which specific fine are not prescribed.**		
(i) Officers of the Transport Department Passenger Tax Officer / Assistant Regional Transport Officer / Regional Transport Officer and all officers of above the rank and principal secretary, secretary and special secretary, Transport. **(ii) All executive magistrates;**	178(1)	**<u>Offences related with Passengers of Stage Carriage Vehicles:</u>** 1- To Travel without valid ticket or pass. 2- Deny showing ticket or pass when asked for.	500/-	-
-Do-	178(2)	**<u>Offences related with conductors of Stage Carriage Vehicles:</u>**	500/-	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Officials who can compound the offences	Sections of The Motor Vehicles Act, 1988, under which a offence is to be compound	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		1- Not to accept the fare or deny to accept the fare. 2- Not to issue to ticket or deny to issue ticket. 3- To supply invalid ticket. 4- To supply ticket of less fare. 5- Does not check ticket or pass.		
-Do-	178(3)(a) 178(3)(b)	If the holder of a permit or driver of a contract carriage refuses, in contravention of the provisions of this act or rules made there under to ply the contract carriage or to carry the passengers:– (a) In case of two wheel or three wheel motor vehicles. (b) In other cases.	50/- 500/-	- -
(i) Officers of the Transport Department Passenger Tax Officer / Assistant Regional Transport Officer / Regional Transport Officer and all officers of above the rank and principal secretary, secretary and	179(1)	Disobedience of any direction lawful given by the authority or make obstruction in the charge of any function which authorities required or empowered under this Act to discharge.	2000/-	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of The Motor Vehicles Act, 1988, under which a offence is to be compound	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	*2*	*3*	*4*	*5*
special secretary, Transport. **(2) Officers of Police Department** **(i) Gazetted Officer of Civil Police / Traffic Police** **(ii) Traffic Police Inspector / Sub-Inspector and Head constable.** **(iii) Inspector and Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their appointment** **(iv) All executive magistrates;**				
-Do-	179(2)	Refusal to give information required to be supplied under this Act or giving false information which he believes not to be true.	2000/-	-
-Do-	180	Whoever, being the owner or person incharge of motor vehicle, causes or permits, any other person who does not satisfy the provisions of Section 3 or Section 4 to drive the vehicle.	5000/-	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of The Motor Vehicles Act, 1988, under which a offence is to be compound	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	*2*	*3*	*4*	*5*
-Do-	181	Driving vehicles in contravention of Section 3 or Section 4.	5000/-	-
-Do-	182(1)	Driving the vehicle by a person who is disqualified under this Act for holding or obtaining driving license.	10000/-	-
-Do-	182(2)	Acting as a conductor of stage carriage by a person who is disqualified under this Act for holding or obtaining conductor license.	10000/-	-
(a) Not below the rank of Additional Transport Commissioner and Principal Secretary, Secretary and Special Secretary of Transport department. (b) **Not below the rank of Deputy Transport Commissioner and Principal Secretary, Secretary and Special Secretary of Transport department.**	182(A)1	(A) Whoever, being a Manufacturer, Importer or Dealer of motor vehicles sells or delivers or alters or offers to sell or deliver a vehicle that is in contravention of the provisions of chapter VII of the Act and the rules and regulations made there under. (i) Manufactures (ii) Importer (B) Dealer	100000/-per vehicle 100000/-per vehicle	- -
Not below the rank of Deputy	182A(3)	Whoever, sells or offers to sell or permits the sale of	100000/- per component	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of The Motor Vehicles Act, 1988, under which a offence is to be compound	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Transport Commissioner and Principal Secretary, Secretary and Special Secretary of Transport department.		any component of a motor vehicle which has been notified as a critical safety component by the Central government and which does not comply with the provisions of chapter VII of Act and the rules and regulations made there under.		
(1) Officials of the Transport Department Passenger Tax Officer / Assistant Regional Transport Officer / Regional Transport Officer and all officers above the rank principal secretary, secretary and special secretary, Transport.	182A(4)	Whoever, being an owner of motor vehicle alters a motor vehicle in a manner not permitted under this Act or the rules and regulations made there under.	5000/- per alteration	-
Not below the rank of Additional Transport Commissioner and Principal Secretary, Secretary and Special Secretary of Transport department.	182B	**(i) <u>Violation of Section 62A(1):</u>** (On registration of any motor vehicle that contravenes any rule made under clause (A) of the sub section (1) of Section 110 relating to the provisions of the width, height, length and overhang of vehicles and	5000/-	10000/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Officials who can compound the offences	Sections of The Motor Vehicles Act, 1988, under which a offence is to be compound	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		of the loads carried.)		
-Do-	182B	**(ii)Violation of Section 62A(2):** (On contravention of any rule made under Section 110 relating to the provisions of issuing the Certificate of Fitness by any prescribed authority or authorized testing station.)	5000/-	10000/-
(1) Officials of the Transport Department Passenger Tax Officer / Assistant Regional Transport Officer / Regional Transport Officer and all officers above the rank principal secretary, secretary and special secretary, Transport. **(2) Officials of Police Department** **(I) Gazetted Officers of Civil Police / Traffic Police** **(ii) Traffic Police Inspector/Sub-**	183(1)	Driving a motor vehicle or causes any person who is employed by him or is subject to his control in driving to drive a motor vehicle in contravention of the speed limits referred to in Section 112 of the Act.	(i) In the light motor vehicle 2000 / - (ii) In the case of medium / heavy passenger / goods vehicle 4000 / -	Not compound-able

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Officials who can compound the offences	Sections of The Motor Vehicles Act, 1988, under which a offence is to be compound	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Inspector and Head constable. (iii) Inspector and Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their appointment (iii) All executive magistrates;				
-Do-	Section 184(c) read with rule 21 of Central motor vehicle rules.	Use of handheld communications devices while driving.	1000/-	10000/-
-Do-	186	Whoever drives a motor vehicle in any public place when he is to his knowledge suffering from any disease or disability calculated to cause his driving of the vehicle to be a source of danger to the public.	1000/-	2000/-
-Do-	189	Whoever, without the written consent of the State government permits or takes part in a race or trial of speed between motor vehicles in any public place.	5000/-	10000/-
-Do-	190(2)	Any person who drives or causes or allows to be driven in any public place a motor vehicle in contravention of the	10000/-	10000/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of The Motor Vehicles Act, 1988, under which a offence is to be compound	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		standards prescribed in relation to: 1- road safety such as without reflector, not fitted with retro reflective tape as per standards, non installation of speed limit device in commercial vehicles as per standards 2- Violation of prescribed standards in relation to air pollution. 3- Violation of prescribed standards in relation to noise pollution.		
(1) Officers of the Transport Department Passenger Tax Officer / Assistant Regional Transport Officer / Regional Transport Officer and all officers of above the rank and principal secretary, secretary and special secretary, Transport. **(2) Officers of Police Department** **(i) Gazetted Officer of Civil Police / Traffic**	Section 192 read with section 39 and 56 of the motor vehicle Act. Section 192 read with Rule 51 of the Central Motor Vehicles rules 1989.	(i) On the operation of motor vehicle without registration or with suspended or cancelled registration. (ii) On the operation of vehicle without valid certificate of fitness. (iii) Carrying registration mark displayed in the vehicle not in the prescribed manner. (iv) To Display other motor vehicle's Registration No. on one's vehicle.	5000/- 5000/- 5000/- 5000/-	10000/- 10000/- 10000/- 10000/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of The Motor Vehicles Act, 1988, under which a offence is to be compound	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Police (ii) Traffic Police Inspector / Sub-Inspector and Head constable. (iii) Inspector and Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their appointment.				
-Do-	Section 192(A) of motor vehicle Act 1988 read with section 66 of Central motor vehicle Act.	Whoever, drives a motor vehicle without permit or causes or allows a motor vehicle to be driven in contravention of any condition of a permit relating to the route on which or the area in which or the purpose for which the vehicle may be driven.	10000/-	10000/-
Officers of the Transport Department Passenger Tax Officer / Assistant Regional Transport Officer / Regional Transport Officer and all officers of above the rank and principal secretary, secretary and special	194(1)	In the case of driving vehicle exceeding permissible weight:- (A) A motor vehicle to be driven in contravention of the provisions of section 113 and 115 of the Act, And (B) If a motor vehicle has excess load per ton of excess load.	20000 / - And 2000 / - Extra for every excess ton	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of The Motor Vehicles Act, 1988, under which a offence is to be compound	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	*2*	*3*	*4*	*5*
secretary, Transport.				
-Do-	194(1A)	Whoever, drives a motor vehicle or causes or allows a motor vehicle to be driven when such motor vehicle is loaded in such a manner that the load are any part thereof or anything extends laterally beyond the side of the body or the front or to the rear of height beyond the permissible limit: (1) If the load is agricultural product. (2) Any other load.	100/- 20000 /-	- -
-Do-	Section 194(2) of motor vehicle Act, 1988 read with section 114 of motor vehicle Act.	Driving vehicle or cause or allow to be driven violating the provisions of Section 114 (refuse to stop and to submit vehicle for weighing after being directed to do so by an officer authorized in this behalf or removes or causes the removal of the load or part of in prior to weighing)	40000/-	-
(1) Officials of the Transport Department Passenger Tax Officer / Assistant Regional Transport Officer /	Section 194(A) of motor vehicle Act, 1988 read with rule 135 of U.P. motor vehicle rules.	Carrying excess passengers in passenger Transport vehicle other than approved in registration certificate or permit.	200/- per passenger	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of The Motor Vehicles Act, 1988, under which a offence is to be compound	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Regional Transport Officer and all officers above the rank principal secretary, secretary and special secretary, Transport. (2) Officials of Police Department (i) Gazetted Officers of Civil Police / Traffic Police (ii) Traffic Police Inspector / Sub-Inspector and Head constable. (iii) Inspector and Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their appointment (v) All executive magistrates;				
-Do-	Section 194 B(1) of motor vehicle Act 1988	Failure to use safety belt while driving or carries passenger not wearing safety belt.	1000/-	-
-Do-	Section 194 B(2) of motor vehicle Act	Drives a motor vehicle or causes or allows a motor vehicle to be driven with a child who, not having	1000/-	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Officials who can compound the offences	Sections of The Motor Vehicles Act, 1988, under which a offence is to be compound	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	1988	attained the age of 14 years, is not secured by a safety belt or a child restraint system.		
-Do-	Section 194 C of motor vehicle Act 1988	Whoever, drives a motorcycle or causes or allows a motorcycle to be driven carrying more than one person in addition to himself.	1000/-	-
-Do-	Section 194 D of motor vehicle Act 1988 read with section 129 of Central motor vehicle Act and rule 121 of U.P. motor vehicle rule 1998.	Violation of not wearing helmet.	1000/-	-
-Do-	194 E	Failure to allow free passage to emergency vehicles like ambulance, fire fighting vehicle, etc.	10000/-	-
-Do-	194 F	**Whoever while driving a motor vehicle:** 1- Sounds the horn needlessly or continuously or more than necessary to ensure safety or 2- Sounds the horn in prohibited area or 3- Drives a motor vehicle which makes use of a cutout by which exhaust gases are released other than	1000/-	2000/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Officials who can compound the offences	Sections of The Motor Vehicles Act, 1988, under which a offence is to be compound	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		through the silencer.		
-Do-	196	Driving or allows a motor vehicle to be driven uninsured vehicle.	2000/-	4000/-
-Do-	198	Unauthorized interference or temper with vehicle without authorization.	1000/-	-

By order,

(Rajesh Kumar Singh)
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।